राजस्थान

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम–2010

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
1.	भाग–1 : प्रारंभिक	1–2
2.	भाग–2 : राज्य सरकार एवं स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य	3–7
3.	भाग–3 : विद्यालयों एवं अध्यापकों के उत्तरदायित्व	8–11
4.	भाग–4 : विद्यालय प्रबंधन समिति	12–14
5.	भाग–5 : अध्यापक / प्रबोधक	15–16
6.	भाग–6 : पाठ्यक्रम और प्रारम्भिक शिक्षा का पूरा होना	17
7.	भाग–7 : राज्य सलाहकार परिषद का गठन एवं कार्य	18–19
8.	भाग–8 : विविध	20
9.	भाग–9 : परिशिष्ठ	21–28

राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम–2010

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 38 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस अधिनियम के उपबन्धों को क्रियान्वित करने हेतु राज्य सरकार एतद् द्वारा निम्नलिखित नियमों को बनाती है।

भाग–1 प्रारंभिक

संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार एवं प्रारंभ

1. ये नियम राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम 2010 जाने जाऐंगे।

- **(i)** ये तुरंत प्रभाव से लागू होंगे।
- **(ii)** ये सम्पूर्ण राजस्थान में मान्य होंगे।

2. इन नियमों में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :–

- **(i)** 'अधिनियम' से निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 अभिप्रेत है।
- **(ii)** 'आंगनबाड़ी' से भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग की समग्र बाल विकास योजना के अन्तर्गत स्थापित आंगनबाडी केन्द्र अभिप्रेत है।
- **(iii)** 'नियत तिथि' से आधिकारित गजट में अधिसूचित तिथि जबसे यह अधिनियम प्रभावकारी होंगा।
- **(iv)** 'अध्याय' 'धारा' व 'अनुसूची' से आशय क्रमशः इन नियमों में उल्लिखित 'अध्याय' 'धारा' व 'अनुसूची' से है।
- **(v)** 'बालक' से छह वर्ष से चौदह वर्ष की आयु का कोई बालक या बालिका अभिप्रेत है।
- **(vi)** 'छात्र समुच्चयित अभिलेख' का आशय छात्र की प्रगति अभिलेख जो उसके विस्तृत एवं अनवरत मूल्यांकन पर आधारित, से है।
- **(vii)** 'शाला मानचित्रण' से सामाजिक अवरोधों एवं भौगोलिक अन्तर को कम करने के लिए विद्यालय स्थान की योजना बनाना अभिप्रेत है।
- **(viii)** 'राज्य' का आशय राजस्थान राज्य से है।
- **(ix)** 'राज्य सरकार' का अभिप्राय 'राजस्थान सरकार' से, 'जिला' का अभिप्राय राज्य के राजस्व जिले से है।
- **(x)** 'निदेशक प्रारंभिक शिक्षा' से विभागाध्यक्ष प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान, अभिप्रेत है।
- **(xi)** 'निदेशक संस्कृत शिक्षा' से विभागाध्यक्ष संस्कृत शिक्षा और जो राजस्थान में संस्कृत में प्रारंभिक शिक्षा के शैक्षिक कार्यक्रम भी संचालित करा रहे हैं, से अभिप्रेत है।
- **(xii)** 'निदेशक माध्यमिक शिक्षा' से विभागाध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा राजस्थान अभिप्रेत है।

(xiii) 'आयुक्त/निदेशक सर्व शिक्षा अभियान' से विभागाध्यक्ष राजस्थान प्राथमिक शिक्षा परिषद् जो प्रारंभिक शिक्षा के लिए सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शैक्षिक कार्यक्रम का क्रियान्वयन भी कर रहे हैं, से अभिप्रेत है।

(xiv) 'राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिकरण' से राज्य सरकार द्वारा 'राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989' द्वारा स्थापित अधिकरण अभिप्रेत है।

(xv) 'जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक शिक्षा)' का आशय प्रशासनिक अधिकारी जो जिला स्तर पर नियन्त्रण एवं प्रारंभिक शिक्षा के कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी है, से है।

(xvi) 'खण्ड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी' का आशय ब्लॉक स्तर पर नियन्त्रण एवं प्रारंभिक शिक्षा के कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी है, से है।

(xvii) 'स्थानीय प्राधिकारी' से नगरपालिका/निगम अधिनियम या राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 और पंचायती राज नियम 1996 के अन्तर्गत गठित ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद् सहित स्थानीय निकाय से अभिप्रेत है।

(xviii) 'पड़ोस' का आशय विद्यालय के पास या विशिष्ट दूरी पर स्थित वासस्थान से है।

(xix) 'प्राथमिक विद्यालय' से अभिप्रेत कक्षा प्रथम से पांचवी तक की शिक्षा देने वाले विद्यालय से है।

(xx) 'उच्च प्राथमिक विद्यालय' से अभिप्रेत कक्षा प्रथम से आठवीं तक की शिक्षा देने वाले विद्यालय से है।

(xxi) 'ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत' से अभिप्रेत राजस्थान पंचायती नियम 1996 द्वारा गठित ग्राम सभा/ग्राम पंचायत से है।

(xxii) 'सरपंच' से आशय ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रमुख से है।

(xxiii) 'पंच' से अभिप्राय ग्राम पंचायत के वार्ड के निर्वाचित सदस्य से है।

(xxiv) 'पार्षद' से आशय शहरी/स्थानीय निकाय के निर्वाचित सदस्य से है।

(xxv) 'अलाभप्रद समूह' से समस्त बालिकाऐं एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के बालकों सहित चालीस प्रतिशत शारीरिक रूप से विकलांग बालक या राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट समूह अभिप्रेत हैं।

(xxvi) 'दुर्बल समूह' गरीबी रेखा से नीचे परिवार के बच्चों से अभिप्रेत है।

(xxvii) 'प्रतिपूर्ति योग्य व्यय' से पूंजीगत व्यय के अतिरिक्त विद्यालय द्वारा वेतन, पुस्तकों और खेलकूद सहित प्रति बालक उपगत व्यय से अभिप्रेत है।

(xxviii) विद्यालय प्रबंधन समिति से अभिप्राय विद्यालय प्रबंधन योजना, अनुश्रवण एवं अन्य निर्णयगत मामलों के लिए विकेन्द्रीकृत ईकाई से है।

(xxix) कार्यकारिणी समिति से अभिप्राय विद्यालय का दिन प्रतिदिन के प्रबंधन के लिए विद्यालय प्रबंध समिति की छोटी क्रियात्मक ईकाई से है।

(xxx) उन सभी शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त है और परिभाषित नहीं है, किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वहीं अर्थ होंगे जो अधिनियम में क्रमशः उनके है।

भाग–2

राज्य सरकार एवं स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य

धारा 6 के प्रयोजन हेतु क्षेत्र अथवा सीमाएं

3.

(1) पड़ौस का क्षेत्र अथवा सीमाएं जिसमें राज्य सरकार द्वारा एक विद्यालय स्थापित किया जाना है, निम्नानुसार होंगी–

(अ) कक्षा एक से पांच तक के बच्चों के लिए 1 कि.मी. की पैदल दूरी की सीमा में एक विद्यालय स्थापित किया जाएगा।

(ब) कक्षा छः से आठ तक के बच्चों के लिए 2 कि.मी. की पैदल दूरी की सीमा में एक विद्यालय स्थापित किया जाएगा।

(2) जहां कहीं आवश्यकतानुसार, राज्य सरकार पूर्व स्थापित एक से पांच कक्षा के विद्यालयों को, छः–आठ जोडते हुए, क्रमोन्नत करेगी एवं वे विद्यालय जो छः से आगे संचालित है, में आवश्यकतानुसार एक से पांच कक्षाओं को शामिल करने का प्रयास करेगी।

(3) दुर्गम एवं दूरस्थ क्षेत्र यथा मरूस्थल, पर्वतीय, छितरी आबादी वाले क्षेत्र (मजरा, ढाणी आदि) में कक्षा एक से पांच हेतु जिनकी जनसंख्या 150 हो और कम से कम 20 बच्चे हों, एवं छः से आठ हेतु आसपास कम से कम 2 प्राथमिक पोषक विद्यालय हों, जिसमें कम से कम 30 बच्चे कक्षा पांच में अध्ययनरत हों, राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी एक उ.प्रा. विद्यालय स्थापित करेगी।

(4) उन बच्चों के लिए जो बहुत छोटे वासस्थान (ढाणी) के हों, जिन्हें राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी द्वारा चिन्हित किया गया हो, जहां आसपास जो उपर्युक्त उपनियम (1) और (3) में वर्णित में कोई विद्यालय अस्तित्व में न हो, वहां, राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु उपनियम (1) और (3) में विशिष्ट छूट देते हुए पर्याप्त व्यवस्था यथा–निःशुल्क आवागमन व्यवस्था, आवासीय एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराऐंगे।

(5) उच्च घनत्व जनसंख्या वाले क्षेत्रों में छः से चौदह आयुवर्ग के बच्चों की संख्या को देखते हुए राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी एक से अधिक पड़ौसी विद्यालय स्थापित करने पर विचार कर सकते हैं।

(6) स्थानीय प्राधिकारी पड़ौसी विद्यालय/विद्यालयों, जहां बच्चे प्रविष्ट हो सकते हों, की सूचना अपने अधिकारिता क्षेत्र के प्रत्येक वासस्थान की आम जनता को उपलब्ध कराएगा।

(7) निःशक्त बच्चों के क्रम में, निःशक्तता जो उन्हें विद्यालय पहुंचने से रोकती है, राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी उनके लिए उचित एवं सुरक्षित यातायात व्यवस्था का प्रयास करेंगे ताकि वे विद्यालय पहॅुच प्राथमिक शिक्षा पूर्ण कर सकें।

(8) राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेंगें कि किसी सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारण से बच्चों की विद्यालय में पहॅुच बाधित न हो।

धारा 8, 9 एवं 12 के प्रयोजनों हेतु :—

4. (1) धारा 2 के खंड (ढ) के उपखंड (i) में निर्दिष्ट राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी के विद्यालय उपस्थित होने वाला कोई बालक, धारा—12 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अनुसार धारा 2 के खंड (ढ) के उपखंड (ii) में निर्दिष्ट विद्यालय में उपस्थित होने वाला कोई बालक और धारा—12 की उपधारा (1) की खंड (ग) के अनुसार धारा—2 के खंड (ढ) के उपखंड (iii) और (iv) में निर्दिष्ट विद्यालय में उपस्थित होने वाला कोई बालक निःशुल्क शिक्षा और विशेष रूप से, निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों, लेखन सामग्रियों के लिए हकदार होगा परन्तु निःशक्तता से ग्रस्त कोई बालक निःशुल्क विशेष शिक्षण और सहायक सामग्री के लिए भी हकदार होगा। स्पष्टीकरण— उपनियम (1) के प्रयोजनों के लिए, यह उल्लेखनीय है कि धारा—12 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अनुसार प्रवेश दिए गये बालक और धारा—12 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अनुसार प्रवेश दिए गए बालक के सम्बन्ध में निःशुल्क हकदारी प्रदान करने का उत्तरदायित्व क्रमशः धारा 2 के खंड (ढ) के उपखंड (ii) और धारा 2 के खंड (ढ) के खंड (iii) और (iv) में निर्दिष्ट विद्यालय होगा।

(2) पड़ौसी विद्यालय का निर्धारण एवं स्थापना के लिए राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी एवं दूरस्थ क्षेत्रों के बच्चों, असुविधाग्रस्त समूह, दुर्बल वर्ग, अनुभाग चार में वर्णित सहित सभी बच्चों को चिन्हित करते हुए नियत तिथि से एक वर्ष के भीतर एवं उसके बाद प्रत्येक वर्ष शाला मानचित्रण करेगी एवं चिन्हीकरण करेगी।

(3) राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि विद्यालय में कोई भी बालक जाति, वर्ग, धर्म या लिंग संबंधी दुर्व्यवहार के साथ नहीं हो।

(4) धारा 8 का खण्ड (ग) एवं धारा 9 का खण्ड (ग) के उद्देश्य हेतु राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि दुर्बल वर्ग, असुविधाग्रस्त वर्ग के बच्चों के साथ कक्षा कक्ष में मध्यान्ह भोजन के दौरान, खेल मैदान में, पेयजल एवं शौचालय मूत्रालयों की सफाई व कक्षा कक्षों की सफाई में भेदभाव न किया जाए।

(5) धारा 8 का खण्ड (छ) के लिए राज्य सरकार गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने हेतु एक समुचित प्रशासनिक ढांचा तैयार करेगी।

स्थानीय प्राधिकारी द्वारा बच्चों के अभिलेख का संधारण

5. (1) स्थानीय प्राधिकारी अपने अधिकारिता क्षेत्र के सभी बच्चों का, घर—घर सर्वेक्षण द्वारा उनके जन्म से चौदह वर्ष की आयु तक का अभिलेख संधारण करेगा।

(2) अभिलेख जो उपनियम (1) में निर्दिष्ट है, प्रत्येक वर्ष अद्यतन किया जाएगा।

(3) अभिलेख जो उपनियम (1) में निर्दिष्ट है, इसे पारदर्शिता से जनसाधारण हेतु संधारित किया जाएगा एवं धारा 9 के खण्ड (ड.) के उद्देश्य हेतु प्रयोग में लिया जाएगा।

(4) अभिलेख में, जो उपनियम (1) में निर्दिष्ट है, प्रत्येक बच्चे के क्रम में होगा–

(i) नाम, लिंग, जन्मतिथि (जन्म प्रमाण पत्र क्रमांक) जन्मस्थान

(ii) संरक्षक/अभिभावक नाम, पता, व्यवसाय

(iii) पूर्व प्राथमिक विद्यालय/आंगनबाडी केन्द्र जहां बच्चा उपस्थित होता है (छः वर्ष तक, हेतु)

(iv) प्रारंभिक विद्यालय जहां बच्चा प्रविष्ट है।

(v) बच्चे का वर्तमान पता।

(vi) कक्षा जिसमें छात्र पढ़ रहा है (छः से चौदह आयु वर्ष हेतु) और यदि स्थानीय प्राधिकारी के अधिकारिता क्षेत्र में पढाई बाधित हुई है तो ऐसे बाधित होने का कारण।

(vii) अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ड.) की परिभाषान्तर्गत क्या बच्चा दुर्बल समूह से है।

(viii) अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (घ) की परिभाषान्तर्गत क्या बच्चा असुविधाग्रस्त समूह से है।

(ix) अप्रवास और अपर्याप्त जनसंख्या, आयु अनुसार समुचित प्रवेश और निःशक्तता के कारण विशेष सुविधाओं या निवास सुविधाओं की अपेक्षा वाले बालकों का विवरण।

(5) स्थानीय प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि उसके अधिकारिता क्षेत्र के अन्तर्गत विद्यालयों में नामांकित सभी बच्चों के नाम प्रत्येक विद्यालय के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित हों।

प्रत्येक विद्यालय में अध्यापक–शिष्य अनुपात बनाए रखना

6. (1) प्रत्येक विद्यालय में शिक्षकों के स्वीकृत पद संख्या (निजी अथवा राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के नियन्त्रणाधीन) उस वर्ष की वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित हो रहे छात्रों की संख्या पर निम्नांकित तरीके से आकलित की जाएगी

(क) विद्यालय स्तर पर विद्यालय का प्रधानाध्यापक शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में एक प्रतिवेदन तैयार करेगा। यह प्रतिवेदन अधिनियम के छात्र–शिष्य अनुपात के सम्बन्ध में मानकों के अनुरूप तैयार की जाएगी और प्रत्येक वर्ष 10 अप्रेल तक ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी को प्रेषित की जाएगी।

(ख) ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों का संकलित प्रतिवेदन तैयार करेगा। प्रतिवेदन के विश्लेषण के पश्चात ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी विभाग द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार अध्यापकों के पदों का पुनर्गठन करेगा। ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी यदि वांछित हो तो ब्लॉक के भीतर अध्यापकों के स्थानान्तरित आदेश जारी कर सकेगा। ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी शिक्षा का अधिकार अधिनियम के मानकों के अनुसार अध्यापकों के अधिशेष/कमी का प्रतिवेदन प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारिम्भक शिक्षा) को 10 मई तक प्रेषित करेगा।

(ग) जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन को संकलित कर विश्लेषण करेगा। जिला शिक्षा अधिकारी विभाग द्वारा जारी किए दिशा–निर्देशों के अनुसार यदि आवश्यक हो तो जिले के भीतर एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में अध्यापकों के स्थानान्तरित आदेश जारी कर सकेगा और अध्यापकों के अधिशेष/कमी का अन्तिम प्रतिवेदन प्रत्येक वर्ष निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा को 20 मई तक प्रेषित करेगा।

(घ) निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राज्य का संकलित प्रतिवेदन तैयार करेगा और यदि अध्यापकों की कमी/अधिशेष है तो उसके सम्बन्ध में उचित कदम उठायेगा और राज्य सरकार को प्रत्येक वर्ष 15 जून तक प्रतिवेदन प्रेषित करेगा।

(2) यदि राज्य सरकार का कोई व्यक्ति अथवा स्थानीय प्राधिकारी धारा 25 की उपधारा (2) का उल्लंघन करता है तो वह अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए व्यक्तिगत उत्तरदायी होगा।

बालकों के अधिकारों का संरक्षण

धारा 31 के निमित्त बालकों के अधिकारों के संरक्षण के लिए राज्य आयोग के कार्य

7. इस अधिनियम की धारा 31 के निमित्त प्रारंभिक शिक्षा के बालकों के अधिकारों के अनुश्रवण के लिए परिवेदनाएं सीधे ही या विभाग के माध्यम से राजस्थान राज्य आयोग को भेजी जा सकेंगी।

<u>भाग–3</u>

विद्यालय और अध्यापकों के उत्तरदायित्व

धारा 12 (1) खण्ड (ग) के प्रयोजनों के लिए कमजोर वर्ग और अलाभप्रद समूह के बालकों का प्रवेश :–

8. (1) धारा–2 के खंड (ढ) के उपखंड (iii) और (iv) में निर्दिष्ट विद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि धारा–12 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अनुसार प्रवेश दिए गए बालक को न तो कक्षाओं में अन्य बालकों से पृथक किया जायेगा, न ही उनकी कक्षाएं अन्य बालकों के लिए आयोजित कक्षाओं से भिन्न स्थानों और समय पर आयोजित की जाऐंगी।

(2) धारा–2 के खंड (ढ) के उपखंड (iii) और (iv) में निर्दिष्ट विद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि धारा–12(1) के खंड (ग) के अनुसार प्रवेश दिए गए बालक के साथ पाठ्यपुस्तकों, गणवेश, पुस्तकालय और सूचना, संसूचना एंव प्रौद्योगिकी सुविधाओं, पाठ्येत्तर गतिविधियां और खेलकूदों जैसी हकदारियों और सुविधाओं के सम्बन्ध में किसी भी रीति में शेष बालकों से विभेद नहीं किया जायेगा।

(3) नियम 3 (1) में विनिर्दिष्ट आस–पास का क्षेत्र या सीमाऐं धारा 12 (1) के खंड (ग) के अनुसार दिये गये प्रवेशों को लागू होंगी परन्तु विद्यालय धारा 12 (1) के खंड (ग) में निर्दिष्ट बालकों के लिए स्थानों की अपेक्षित प्रतिशतता को भरने के प्रयोजनों के लिए इन क्षेत्रों या सीमाओं का 3 किलोमीटर तक विस्तार कर सकेगा परन्तु यह भी कि विद्यालय धारा–12(1) के खंड (ग) में निर्दिष्ट बालकों के लिए स्थानों की अपेक्षित प्रतिशतता को भरने के प्रयोजनों के लिए जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) के पूर्व अनुमोदन से इन क्षेत्रों या सीमाओं का विस्तार कर सकेगा।

(4) यदि किसी विशेष कक्षा या विद्यालय में प्रवेश लेने वाले अभ्यार्थियों की संख्या वांछित स्थानों से अधिक है तो ऐसे विद्यालय की सम्बन्धित कक्षा में प्रवेश लॉटरी प्रक्रिया या समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों से निर्धारित किए जाऐंगे।

(5) ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी अपने अधिकारिता क्षेत्र में आने वाले प्रत्येक निजी विद्यालयों और विशेष विद्यालयों के पड़ोस के कमजोर वर्ग और अलाभप्रद समूह के बालकों का अभिलेख संधारित करेगा।

धारा 12 (2) के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रति बालक व्यय पुनर्भरण

9. (1) राज्य सरकार द्वारा प्राथमिक शिक्षा पर अपनी स्वयं की निधियों या केन्द्रीय सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई निधियों से उपगत कुल वार्षिक आवर्ती व्यय, सभी ऐसे विद्यालयों जो राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा स्थापित, संचालित और नियन्त्रित हैं, में नामांकित बालकों की कुल संख्या से विभाजित, राज्य सरकार द्वारा उपगत किया प्रति बालक व्यय होगा। स्पष्टीकरण– प्रति बालक व्यय का उपधारण करने के लिए धारा–2 के खंड (ढ) के उपखंड ;पपद्ध में निर्दिष्ट विद्यालयों पर राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा और ऐसे विद्यालयों में नामांकित बालकों द्वारा उपगत व्यय सम्मिलित नहीं किया जाऐगा।

(2) धारा–2 के खंड (ढ) के उपखंड (iii) और (iv) में निर्दिष्ट प्रत्येक विद्यालय धारा–12 की उपधारा (2) के अधीन प्रतिपूर्ति के रूप में उनके द्वारा प्राप्त रकम की बाबत एक पृथक बैंक खाता रखेगा।

(3) राज्य और स्थानीय प्राधिकारी द्वारा धारा 12(2) के अधीन प्रतिपूर्ति हेतु उपगत प्रति–बालक व्यय का निर्धारण करने के प्रयोजन के लिए एक राज्य स्तरीय समिति होगी जिसमें प्रमुख शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा, प्रमुख शासन सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, प्रमुख शासन सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, सचिव जनजाति क्षेत्र विकास, सचिव वित्त विभाग, निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा और आयुक्त/निदेशक सर्वशिक्षा अभियान होंगे। प्रमुख शासन सचिव शिक्षा, समिति के अध्यक्ष एवं निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा सदस्य सचिव होंगे।

(4) समिति, प्रति बालक व्यय का निर्धारण करने के लिए अधिनियम के प्रारंभ होने के तीन मास के भीतर, बैठक करेगी एवं उसके पश्चात अगले शिक्षा सत्र के निर्धारण के लिए प्रतिवर्ष दिसम्बर माह में बैठक करेगी।

(5) धारा–12 के अधीन विद्यालयों में नामांकित बालकों की फीस की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, समिति के निर्णय से जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा को संसूचित करेंगे। परन्तु जहां कोई विद्यालय पूर्व में ही भूमि, भवन, उपस्कर एवं अन्य सुविधाऐं मुफ्त या रियायती दर पर प्राप्त करने के आधार पर विशिष्ट संख्या में बालकों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु बाध्य है, ऐसा विद्यालय ऐसी बाध्यता के विस्तार तक प्रतिपूर्ति पाने का हकदार नहीं होगा।

(6) प्रतिपूर्ति, विद्यालय को सीधे ही दो किश्तों में, विद्यालय द्वारा संधारित पृथक बैंक खाते में देय होगा। पचास प्रतिशत की प्रथम किश्त की प्रतिपूर्ति अगस्त माह में और शेष जनवरी माह में देय होगी।

(7) अधिनियम की धारा–12 के अन्तर्गत प्रतिपूर्ति हेतु विद्यालय अप्रेल मास में विद्यालय में नामांकित विद्यार्थियों के नाम की सूची जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) या ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी को प्रस्तुत करेगा। जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) प्रथम किश्त की प्रतिपूर्ति से पूर्व बालकों के नामांकन की सत्यता प्रमाणित कर सकेगा या ऐसा करने के लिए कह सकेगा। वह जनवरी माह में नामांकन और प्रत्येक बालक की प्रत्येक माह की न्यूनतम

अस्सी प्रतिशत उपस्थिति के सत्यापन के पश्चात् अन्तिम किश्त की प्रतिपूर्ति करेगा।

(8) अधिनियम की धारा 12 में निर्दिष्ट विद्यालयों और निजी विद्यालयों में प्रविष्ट विद्यार्थियों के कक्षा वार नाम विद्यालय के प्रमुख स्थान या सूचना पट्ट पर प्रदर्शित किए जाऐंगे और इसके साथ–साथ यदि विद्यालय की अपनी वेबसाईट है तो वह ऐसे नाम वेबसाईट पर भी उसी प्रकार प्रदर्शित करेगा।

(9) विद्यालय को प्रति बालक व्यय की प्रतिपूर्ति

1. राज्य द्वारा उपगत प्रति बालक व्यय, या
2. विद्यालय द्वारा उपगत प्रति बालक व्यय, या
3. विद्यालय द्वारा बालक से प्राप्त वास्तविक व्यय में से जो भी कम होगा, की प्रतिपूर्ति की जायेगी।

धारा–14 के प्रयोजन के लिए आयु के प्रमाण के रूप में दस्तावेज (प्रवेश के लिए जन्म प्रमाण–पत्र)

10. जहां कहीं जन्म, मृत्यु और विवाह प्रमाणीकरण अधिनियम 1886 के अधीन अन्य प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है वहां निम्नलिखित दस्तावेजों में से किसी एक को विद्यालयों में प्रवेश के प्रयोजनों के लिए बालक की आयु का प्रमाण समझा जायेगा–

(क) अस्पताल या सहायक नर्स और दाई रजिस्टर अभिलेख

(ख) आंगनबाड़ी अभिलेख

(ग) माता–पिता या संरक्षक द्वारा बालक की आयु की शपथपत्र द्वारा घोषणा।

धारा–15 के प्रयोजन के लिए प्रवेश के लिए विस्तारित अवधि

11. (1) प्रवेश के लिए विस्तारित अवधि विद्यालय के शैक्षिक वर्ष के प्रारंभ की तारीख से छह मास की होगी।

(2) जहां किसी बालक को विस्तारित अवधि के पश्चात् किसी विद्यालय में प्रवेश दिया जाता है, वहां वह विद्यालय के प्रधान द्वारा यथा अवधारित विशेष प्रशिक्षण की सहायता से अध्ययन पूरा करने के लिए पात्र होगा।

धारा–18 के प्रयोजन के लिए विद्यालय को मान्यता

12. इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व या पश्चात् प्रारम्भिक शिक्षा के लिए सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा स्थापित उनके स्वामित्वाधीन या नियन्त्राधीन किसी विद्यालय से भिन्न प्रत्येक विद्यालय अधिनियम की धारा–18 में निर्धारित स्वघोषणा–सह–आवेदन, राजस्थान गैर–सरकारी शैक्षणिक संस्थान, 1989 और राजस्थान गैर सरकारी शैक्षणिक संस्थान नियम 1993 के विहित प्रावधानों के अनुसार एक प्रार्थना पत्र के रूप में करेगा। मान्यता एवं सम्बन्धित मामलों के लिए राजस्थान गैर सरकारी शैक्षणिक संस्थान अधिनियम 1989 और राजस्थान गैर सरकारी शैक्षणिक संस्थान नियम 1993 लागू होंगे।

भाग–4

विद्यालय प्रबन्धन समिति

धारा 21 के प्रयोजनों के लिए विद्यालय प्रबन्धन समिति की संरचना और कृत्य :–

13. (1) गैर सहायता प्राप्त विद्यालय से भिन्न प्रत्येक विद्यालय में इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के छह मास के भीतर राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुसार एक विद्यालय प्रबन्धन समिति का गठन किया जायेगा और प्रत्येक दो वर्ष में उसका पुनर्गठन किया जाएगा।

(2) विद्यालय प्रबन्धन समिति योजना, अनुश्रवण और अन्य विनिश्चय सम्बन्धी मामले के प्रयोजन के लिए विद्यालय प्रबन्ध की विकेन्द्रीकृत इकाई के रूप में कार्य करेगी।

(3) विद्यालय प्रबंधन समिति के लिए कार्यकारिणी समिति एक दिन–प्रतिदिन के विद्यालय प्रबंधन के लिए एक क्रियात्मक ईकाई होगी।

(4) विद्यालय प्रबंधन समिति में निम्नांकित सदस्य होंगे :–

(क) विद्यालय में अध्ययनरत प्रत्येक बालक के माता–पिता/संरक्षक।

(ख) विद्यालय में कार्यरत प्रत्येक अध्यापक/प्रबोधक।

(ग) विद्यालय के परिसीमन क्षेत्र में निवासरत प्रत्येक पंचायतीराज संस्थान सदस्य।

(5) विद्यालय प्रबंधन समिति अपने कुल सदस्यों के 25 प्रतिशत सदस्यों की गणपूर्ति सहित प्रत्येक छः मास में बैठक करेगी।

(6) विद्यालय प्रबंधन समिति अध्यक्ष/उपाध्यक्ष अभिभावक में से होगा एवं विद्यालय का प्रधानाध्यापक सदस्य–सचिव होगा।

(7) पन्द्रह सदस्यों की एक कार्यकारिणी समिति होगी जिसमें 75 प्रतिशत (11 से अन्यून) सदस्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों सहित अभिभावक/संरक्षक होंगे।

(8) कार्यकारिणी समिति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की प्रतिनिधि सहित पचास प्रतिशत से अन्यून महिलाऐं होंगी।

(9) विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष और सदस्य सचिव, कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष और सदस्य सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे।

(10) कार्यकारिणी समिति की बैठक इसके कुल सदस्यों के एक तिहाई सदस्यों से अन्यून गणपूर्ति सहित मास में एक बार होगी।

धारा–22 के प्रयोजनों के लिए विद्यालय विकास योजना तैयार करना

14. (1) विद्यालय प्रबन्धन समिति उस वित्तीय वर्ष के, जिसमें अधिनियम के अधीन उसका पहली बार गठन किया गया है, अंत से कम से कम तीन मास पूर्व एक विद्यालय विकास योजना तैयार करेगी।

(2) विद्यालय विकास योजना तीन वर्षीय योजना होगी जिसमें तीन वार्षिक उपयोजनाऐं होंगी।

(3) विद्यालय विकास योजना में निम्नलिखित ब्यौरे होंगे, अर्थात् :–

(क) प्रत्येक वर्ष के लिए कक्षावार नामांकन के प्राक्कलन

(ख) अनुसूची में विनिर्दिष्ट सन्नियमों और मानकों के प्रति निर्देश से परिकलित कक्षा 1 से 5 और कक्षा 6 से 8 के लिए पृथक रूप से अतिरिक्त अध्यापकों, जिसके अन्तर्गत प्रधान अध्यापक, विषय अध्यापक और अंशकालिक अनुदेशक भी है, की तीन वर्ष से उपर की अवधि के लिए संख्या की अपेक्षा

(ग) अनुसूची में विनिर्दिष्ट सन्नियमों और मानकों के प्रति निर्देश से परिकलित अतिरिक्त अवसंरचना और उपस्करों की तीन वर्ष से उपर की अवधि के लिए ऊपेक्षा

(घ) ऊपर (ख) और (ग) के सम्बन्ध में वर्षवार तीन वर्ष से उपर की अवधि के लिए वित्तीय आवश्यकता जिसके अन्तर्गत धारा–4 में विनिर्दिष्ट विशेष प्रशिक्षण सुविधा, निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों और गणवेश जैसी बालकों की हकदारी तथा अधिनियम के अधीन विद्यालय के उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए कोई अन्य अतिरिक्त ऊपेक्षा भी है।

(4) विद्यालय विकास योजना पर विद्यालय विकास समिति के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष और संयोजक द्वारा हस्ताक्षर किए जाऐंगे और उसे उस वित्तीय वर्ष के जिसमें उसे तैयार किया जाता है, अन्त से पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) को प्रस्तुत किया जायेगा।

धारा–4 के प्रथम परन्तुक के प्रयोजनों के लिए विशेष प्रशिक्षणः–

15. (1) विद्यालय प्रबन्ध समिति या स्थानीय प्राधिकारी विशेष प्रशिक्षण की अपेक्षा रखने वाले बालकों की पहचान करेगी और निम्नलिखित रीति में ऐसा प्रशिक्षण आयोजन करेगी, अर्थात्

(i) विशेष प्रशिक्षण धारा–29 की उपधारा (1) व (2) में विनिर्दिष्ट शैक्षिक प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित विशेष रूप से आरेखित की गई आयु अनुसार शिक्षा सामग्री पर आधारित होगा।

(ii) उक्त प्रशिक्षण विद्यालय के परिसरों में लगाई गई कक्षाओं में या सुरक्षित आवासीय सुविधाओं में आयोजित कक्षाओं में दिया जायेगा।

(iii) उक्त प्रशिक्षण विद्यालय में कार्य कर रहे अध्यापकों द्वारा या इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से नियुक्त अध्यापकों द्वारा दिया जायेगा।

(iv) उक्त प्रशिक्षण की कालावधि तीन मास की न्यूनतम अवधि के लिए होगी, जिसे अधिगम प्रगति के आवधिक निर्धारण के आधार पर दो वर्ष से अनधिक की अधिकतम अवधि के लिए विस्तारित किया जा सकेगा।

(2) बालक, आयु अनुरूप कक्षा में प्रवेश करने पर विशेष प्रशिक्षण के पश्चात् अध्यापक द्वारा विशेष ध्यान प्राप्त करता रहेगा, जिससे कि उसे शेष कक्षा के साथ सफलता पूर्वक जुडने में शैक्षणिक और भावनात्मक रूप से समर्थ बनाया जा सके।

भाग–5
अध्यापक/प्रबोधक

धारा 23(1) के प्रयोजन के लिए न्यूनतम अर्हताऐं–

16. धारा 23 के अधीन अधिसूचित शैक्षणिक प्राधिकारी प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक/प्रबोधक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होने वाले व्यक्तियों के लिए न्यूनतम अर्हताऐं अभिकथित करेगा, जो प्रत्येक विद्यालय के लिए लागू होगी।

धारा 23 (2) के परन्तुक के अधीन न्यूनतम अर्हताओं का अर्जित किया जाना :–

17. (1) राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस अधिनियम के प्रारम्भ के समय, धारा–2 के खंड (ढ) के उपखण्ड (i) और (iii) में निर्दिष्ट विद्यालयों में सभी अध्यापकों, जिनके पास धारा–15 में अधिकथित न्यूनतम अर्हताएं नहीं है, अधिनियम के प्रारंभ से पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताऐं अर्जित करने के लिए पर्याप्त अध्यापक/प्रबोधक शिक्षण सुविधाऐं उपलब्ध कराएंगे।

(2) धारा–2 के खंड (ढ) के उपखण्ड (i) और (iv) में निर्दिष्ट विद्यालय में किसी ऐसे अध्यापक/प्रबोधक जिनके पास अधिनियम के प्रारंभ के समय धारा–15 में अधिकथित न्यूनतम अर्हताएं नहीं है, ऐसे विद्यालय का प्रबंधन, अधिनियम के प्रारंभ के पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसे अध्यापकों ऐसी न्यूनतम अर्हताऐं अर्जित करने के लिए समर्थ बनायेंगे।

धारा 23 (3) के प्रयोजन के लिए अध्यापकों के वेतन, भत्ते, तथा सेवा की शर्तें :–

18. (1) यथास्थिति अध्यापकों/प्रबोधकों को भुगतान किये जाने वाले वेतन एवं भत्ते और उनकी सेवा की शर्ते प्रवर्तनीय सम्बन्धित नियम यथा राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम 1971, राजस्थान पंचायत राज नियम 1996 और राजस्थान प्रबोधक पंचायत राज सेवा नियम 2008 द्वारा विहित होंगे।

(2) निजी विद्यालयों के अध्यापकों के वेतन–भत्ते एवं उनकी सेवा शर्तें, विद्यालय प्रबंधन के नियम एवं विधान, यदि कोई लागू हों तो के द्वारा निर्धारित की जाएंगी।

धारा 24 (1) के खण्ड (च) के प्रयोजन के लिए अध्यापकों/प्रबोधक द्वारा अनुपालन किये जाने वाले कर्त्तव्य :–

19. (1) धारा 24(1) की उपधारा (1) में निर्दिष्ट कृत्यों के अनुपालन और धारा 29 की उपधारा (2) के खण्ड (ज) की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अध्यापक एक फाईल (पत्रावली) रखेंगे जिसमें प्रत्येक बच्चे के लिए शिष्य संचयी अभिलेख होगा जो धारा–30 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट प्राथमिक शिक्षा पूरी होने पर पूर्णता प्रमाण–पत्र देने का आधार होगा।

(2) (क) अध्यापक, धारा 24 की उपधारा (1) के खंड (क) से (ड.) तक में विनिर्दिष्ट कृत्यों के अतिरिक्त, नियमित अध्यापन में व्यवधान के बिना निम्नांकित कर्त्तव्यों का अनुपालन करेगा।

(ख) पाठ्यचर्चा निर्माण और पाठ्यक्रम विकास, प्रशिक्षण मॉड्यूल तथा पाठ्य पुस्तक विकास में भाग लेना।

धारा 24 (3) के प्रयोजनार्थ अध्यापकों के लिए परिवेदना निस्तारण तन्त्र :–

20. (1) धारा 21 के अन्तर्गत गठित विद्यालय प्रबंधन समिति अध्यापकों के परिवेदना निस्तारण का प्रथम स्तर होगी।

(2) अध्यापकों की परिवेदना निस्तारण के लिए जिला स्तरीय परिवेदना समिति होगी। यदि अध्यापक विद्यालय प्रबंधन समिति के निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो वह जिला स्तरीय परिवेदना समिति को अपील कर सकेगा।

(3) जिला स्तरीय समिति मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) और अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) को शामिल कर गठित की जाएगी। मुख्य कार्यकारी अधिकारी समिति का अध्यक्ष होगा। जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा.शि.) समिति का सदस्य सचिव होगा। जिला स्तरीय समिति का निर्णय अन्तिम होगा और संबंधित अध्यापक/अधिकारियों पर बाध्य होगा।

(4) इस समिति की प्रत्येक छः माह में एक बैठक होगी।

(5) राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी द्वारा स्थापित/नियन्त्रित किसी भी विद्यालय का कोई भी शिक्षक अपनी लिखित परिवेदना संयोजक को प्रस्तुत कर सकेगा। समिति का संयोजक निर्णय से शिक्षक को संसूचित कराएगा।

(6) निजी विद्यालय शिक्षकों की परिवेदना निस्तारण हेतु स्वयं का तन्त्र विकसित करेंगे।

भाग–6
पाठ्यक्रम और प्राथमिक शिक्षा का पूरा होना

धारा–29 के प्रयोजनों के लिए शैक्षणिक प्राधिकारी

21. (1) राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर धारा–29 के प्रयोजनों के लिए शैक्षणिक प्राधिकारी होगी।

(2) पाठ्यचर्चा और मूल्यांकन प्रक्रिया अधिकथित करते समय उपनियम (1) के अधीन अधिसूचित शैक्षणिक अधिकारी–

(क) सुसंगत और आयु समुचित पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकें और अन्य शिक्षण सामग्री तैयार करेगा।

(ख) सेवारत अध्यापक प्रशिक्षण आरेख विकसित करेगा, और

(ग) निरन्तर तथा व्यापक मूल्यांकन को अभ्यास में रखने के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त तय करेगा।

(3) उप नियम (1) में निर्दिष्ट शैक्षणिक प्राधिकारी नियमित आधार पर सम्पूर्ण विद्यालय स्तर (गुणवत्ता) निर्धारण की प्रक्रिया आरेखित और कार्यान्वित करेगा।

धारा 30 के प्रयोजनों के लिए प्रमाण–पत्र प्रदान करना :–

22. (1) प्राथमिक शिक्षा के पूरा होने का प्रमाण–पत्र विद्यालय/खण्ड/जिला स्तर पर प्राथमिक शिक्षा पूरा करने के एक माह के भीतर जारी किया जायेगा।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट प्रमाण–पत्र में–

(क) यह प्रमाणित होगा कि बालक ने धारा 29 में अध्ययन हेतु निर्धारित समस्त पाठ्यक्रम पूर्ण कर लिया है।

(ख) बालक का शिष्य संचयी अभिलेख अंतर्विष्ट होगा और निर्धारित पाठ्यक्रम के अलावा बालक की संगीत, नृत्य, साहित्य, खेलकूद आदि क्षेत्र की विशिष्ट उपलब्धियां भी अंतर्विष्ट हो सकेंगी।

भाग–7

राज्य सलाहकार परिषद् का गठन एवं कृत्य

23. (1) अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी तरीके से लागू कराने के लिए सुझाव देने हेतु सरकार 15 सदस्यीय राज्य सलाहकार परिषद् का गठन करेगी।

(2) परिषद् की बैठकों एवं इसके अन्य कृत्यों के लिए स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा विभाग तर्कसम्मत सहयोग उपलब्ध करायेगा।

(3) परिषद् के कार्य संव्यवहार की प्रक्रिया निम्न होगी :–

(i) परिषद् की बैठक नियमित रूप से ऐसे किसी समय होगी, जैसा कि अध्यक्ष उचित समझे परन्तु परिषद् की अन्तिम बैठक और आगामी बैठक में तीन माह से अधिक का अन्तराल नहीं होगा।

(ii) परिषद् की बैठक में अध्यक्ष पीठासीन होगा। यदि किसी कारणवश अध्यक्ष परिषद् की बैठक में उपस्थित होने में असमर्थ है, वह किसी सदस्य को ऐसी बैठक के पीठासीन हेतु नामित कर सकता है। परिषद् की बैठक की गणपूर्ति न्यूनतम 50 प्रतिशत सदस्यों के उपस्थित होने पर पूर्ण माना जायेगा।

(4) परिषद् के सदस्य के नियुक्त होने के लिए शर्तें निम्नलिखित हैं :–

(क) प्रत्येक सदस्य पदग्रहण की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा परन्तु कोई भी सदस्य दो कार्यकाल की अवधि से अधिक पद धारण नहीं करेगा।

(ख) राज्य सरकार आदेश द्वारा सदस्य को सिद्ध दुर्व्यवहार या अक्षमता या निम्नांकित किसी एक या अधिक घटना के घटित होने पर हटा सकेगाः–

(i) दिवालिया घोषित किया गया है, या

(ii) कार्य करने से मना या कार्य करने के अयोग्य हो गया है, या

(iii) विकृत चित्त का है और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया है, या

(iv) दुर्व्यवहार से उत्पन्न हुई क्षति के कारण लोकहित में सेवाऐं निरन्तर न दे पाने के कारण।

(v) अपराध के लिए सक्षम न्यायालय द्वारा सिद्धदोष करार दिया है, या

(vi) अवकाश लिए बिना परिषद् में अनुपस्थित है, परिषद् की दो लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहा है।

(ग) किसी सदस्य को समुचित सुनवाई का अवसर दिए बिना पद से नहीं हटाया जायेगा।

(घ) यदि सदस्य के पद पर सदस्य की मृत्यु, त्यागपत्र या किसी अन्य कारण से रिक्ति होती है तो उपनियम (2) के प्रावधानानुसार ऐसी रिक्ति को 120 दिन की अवधि के भीतर नई नियुक्ति द्वारा भरा जायेगा।

(ड.) परिषद के सदस्यों द्वारा कार्यालय प्रयोजन हेतु की गई यात्राओं का यात्रा एवं दैनिक भत्ते की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा समिति और आयोग के गैर सरकारी सदस्यों और ऐसी श्रेणी के व्यक्तियों के सम्बन्ध में जारी किये गये आदेशानुसार, अधिकृत होंगे।

भाग–8 विविध

24. **नियमों से विमुक्त करने का अधिकार –** राज्य सरकार सामान्य अथवा विशिष्ट आदेश द्वारा किसी संस्था अथवा संस्थाओं के किसी वर्ग को नियमों के उपबन्धों से विमुक्त कर सकेगी अथवा निर्देशित कर सकेगी कि अमुक उपबन्ध किसी संस्था अथवा संस्थाओं के किसी वर्ग पर किसी उपान्तरणों और या शर्तों के सहित लागू होंगे जैसे कि आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं।

25. **संदेह का निवारण –** यदि इन नियमों के किसी उपबन्ध के व्याख्या करने में या उपयुक्तता में कोई सन्देह उत्पन्न होता है तो मामला राज्य सरकार के शिक्षा विभाग को निर्णय के लिए भेजा जाएगा अन्ततः जिसका निर्णय अन्तिम होगा।

भाग–9 परिशिष्ट

प्रपत्र–1
विद्यालय की मान्यता हेतु स्वघोषणा सह प्रार्थना–पत्र

नियम 11 के उपनियम (1) देखें

निःशुल्क तथा अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम 2009

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारंभिक शिक्षा................
राजस्थान

श्रीमान्

मैं निःशुल्क तथा अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 की अनुसूची में विनिर्दिष्ट मानदण्डों की अनुपालना में स्वघोषणा एवं निर्धारित प्रोफार्मा में मान्यता हेतु आवेदन पत्र..(विद्यालय का नाम) .... विद्यालय प्रारंभ होने की दिनांक ....अग्रेषित करता हूं।

संलग्नक :

प्रबंध समिति मैनेजर/अध्यक्ष

स्थान :
दिनांक :

क–विद्यालय विवरण		
1.	विद्यालय का नाम	
2.	शैक्षणिक सत्र	
3.	जिला	
4.	डाक का पता	
5.	गांव/शहर	
6.	तहसील	
7.	पिनकोड	
8.	दूरभाष मय एस.टी.डी. कोड	
9.	फैक्स नं.	
10.	ई–मेल पता यदि कोई हो	
11.	निकटतम पुलिस स्टेशन	

ख–सामान्य सूचना				
1.	स्थापना का वर्ष			
2.	विद्यालय की प्रथम प्रारंभ की तिथि			
3.	ट्रस्ट/सोसायटी/प्रबंध समिति का नाम			
4.	ट्रस्ट का पंजीकरण क्रमांक			
5.	अवधि जब तक पंजीकरण वैध है			
6.	.....			
7.	मैनेजर/अध्यक्ष/सभापति/सह सभापति का आधिकारिक पता			
	नाम			
	पदनाम			
	पता			
	दूरभाष		कार्यालय निवास	
8.	पिछले तीन वर्षों में कुल आय/व्यय, अधिशेष/न्यूनता (चार्टर्ड अकाउण्टेण्ट प्रति संलग्न करें)			
	वर्ष	आय	व्यय	अधिशेष/न्यूनता

ग–विद्यालय की प्रकृति एवं क्षेत्र		
1.	पढाई का माध्यम	
2.	विद्यालय का प्रकार (प्रथम एवं अन्तिम कक्षा स्पष्ट लिखें)	
3.	यदि अनुदानित है तो एजेन्सी का नाम व अनुदान का प्रतिशत	
4.	क्या विद्यालय मान्यता प्राप्त है (हां/नहीं)...........	
5.	यदि हां तो किस प्राधिकारी द्वारा	
	मान्यता प्रमाण–पत्र संख्या	
6.	क्या विद्यालय का स्वयं का भवन है या किराए के भवन में संचालित है	
7.	क्या विद्यालय भवन एवं अन्य संसाधन अथवा मैदान का प्रयोग केवल शिक्षा एवं कौशल विकास हेतु किया जाता है?	
8.	विद्यालय का कुल क्षेत्रफल	
9.	विद्यालय का निर्मित क्षेत्रफल	

घ–नामांकन स्थिति			
	कक्षा	अनुभाग	बच्चे
1.	पूर्व प्राथमिक		
2.	एक–पांच		
3.	छः–आठ		

ड.–संसाधनों का विवरण एवं स्वास्थ्यकर योजनाएं स्थिति			
	कक्षा	**संख्या**	**औसत आकार**
1.	कक्षाकक्ष		
2.	कार्यालय सह भण्डार सह प्रधानाध्यापक कक्ष		
3.	रसोईघर सह भण्डार		

च–अन्य सुविधाएं		
1.	क्या सारी सुविधाएं निर्बाध पहुंच में हैं?	
2.	शिक्षण अधिगम सामग्री (सूची संलग्न करें)	
3.	क्रीडा एवं खेल उपकरण (सूची संलग्न करें)	
4.	पुस्तकालय में पुस्तक सुविधा	
	पुस्तकें (संख्या)	

	सामयिक पत्रिका / समाचार पत्र	
5.	पेयजल सुविधा का प्रकार / संख्या	
6.	स्वास्थ्यकर योजनाएं स्थिति	
	1. मूत्रालय / शौचालय का प्रकार	
	2. बालकों के लिए मूत्रालय / शौचालयों की संख्या	
	3. बालिकाओं के लिए मूत्रालय / शौचालयों की संख्या	

छ—शैक्षणिक वर्ग का विवरण			
1.	**विशेषतः प्राथमिक / उच्च प्राथमिक विद्यालय में अध्यापन (प्रत्येक शिक्षक का अलग—अलग विवरण दें)**		
	अध्यापक का नाम	पिता / पति / पत्नी का नाम	जन्म दिनांक
	शैक्षिक योग्यता	व्यावसायिक योग्यता	शिक्षण अनुभव
	कक्षा जो सौंपी गई है	नियुक्ति दिनांक	प्रशिक्षित / अप्रशिक्षित
2.	**प्रारंभिक एवं माध्यमिक दोनों में अध्यापन (प्रत्येक शिक्षक का अलग—अलग विवरण दें)**		
	अध्यापक का नाम	पिता / पति / पत्नी का नाम	जन्म दिनांक
	शैक्षिक योग्यता	व्यावसायिक योग्यता	शिक्षण अनुभव
	कक्षा जो सौंपी गई है	नियुक्ति दिनांक	प्रशिक्षित / अप्रशिक्षित
3.	**प्रधान अध्यापक**		
	अध्यापक का नाम	पिता / पति / पत्नी का नाम	जन्म दिनांक
	शैक्षिक योग्यता	व्यावसायिक योग्यता	शिक्षण अनुभव
	कक्षा जो सौंपी गई है	नियुक्ति दिनांक	प्रशिक्षित / अप्रशिक्षित

4. प्रमाणित किया जाता है कि विद्यालय ने इस आवेदन पत्र के साथ शिक्षा के जिला सूचना तन्त्र के प्रोफार्मा में भी वांछित सूचना प्रस्तुत कर दी है।
5. प्रमाणित किया जाता है कि किसी भी समुचित प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के निरीक्षण किए जाने हेतु विद्यालय खुला है।

6. प्रमाणित किया जाता है कि विद्यालय यह वचनबंध करता है कि वह ऐसी रिपोर्ट और सूचनाऐं प्रस्तुत करेगा जो समय–समय पर जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हों और समुचित प्राधिकारी या जिला शिक्षा अधिकारी को ऐसे अनुदेशों का अनुपालन करेगा, जो मान्यता की शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए या विद्यालय के कार्यकरण में कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाऐं।

7. प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिनियम के कार्यान्वयन से संगत विद्यालय के अभिलेख किसी भी समय जिला शिक्षा अधिकारी या समुचित प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी प्राधिकारी द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध होंगे और विद्यालय ऐसे सभी सूचना प्रस्तुत करेगा जो केन्द्रीय सरकार या स्थानीय निकाय या प्रशासन को यथास्थिति संसद/राज्य विधानसभा/पंचायत/नगरपालिका के प्रति उसकी बाध्यताओं का निर्वहन करने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हों।

ह./–

अध्यक्ष/प्रबन्धक

स्थान :

प्रबन्ध समिति

..................विद्यालय

ज. पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्चा

1. प्रत्येक कक्षा (कक्षा 8 तक) के लिए पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्चा का विवरण
2. शिष्य निर्धारण तन्त्र
3. क्या विद्यालय के शिष्यों की कक्षा 8 तक बोर्ड परीक्षा लेने की आवश्यकता है?

प्रारूप–2

ग्राम : फोन :
ई–मेल : फैक्स :

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी
(प्रारम्भिक शिक्षा)..........................राजस्थान

संख्यांक : दिनांक :

प्रबन्धक,

....

विषय :निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा–18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवाय बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम ।। के उप नियम (4) के अधीन विद्यालय का मान्यता प्रमाण–पत्र।

महोदय / महोदया,

आपके दिनांक.............के आवेदन और इस संबंध में विद्यालय के साथ पश्चात्वर्ती पत्राचार / निरीक्षण के प्रतिनिदेश से मैं.............................(विद्यालय का नाम पते सहित) को दिनांक..................से दिनांक.................तक तीन वर्ष की अवधि के लिए कक्षा.............से कक्षा....... तक के लिए अन्तिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूं। उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों को पूरा किए जाने के अध्यधीन हैः–

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा–8 के पश्चात् मान्यता / संबंधन के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।

2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 (उपाबंध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 (उपाबंध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।

3. विद्यालय कक्षा 1 में, उस कक्षा के बालकों की संख्या के...........प्रतिशत तक आस–पड़ौस के कमजोर वर्गों और अलाभपद समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।

4. पैरा–3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए, विद्यालय को अधिनियम की धारा–12 (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जाएगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।

5. सोसायटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता–पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा।

6. विद्यालय किसी बालक को, उसकी आयु का प्रमाण न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा। यदि ऐसा प्रवेश जन्म स्थान, धर्म, जाति या प्रजाति या इनमें किसी एक उपलब्ध/निर्धारित आधार पर उत्तरवर्ती चाहा गया है।

7. विद्यालय सुनिश्चित करेगा कि :–

   (i) प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में अनुत्तीर्ण नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।

   (ii) किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीडन के अध्यधीन नहीं किया जायेगा।

   (iii) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

   (iv) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम–23 के अधीन अधिकथित किए अनुसार एक प्रमाण–पत्र प्रदान किया जायेगा।

   (v) अधिनियम के उपबंधों के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों का समावेश किया जाना।

   (vi) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है परन्तु और यह कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारंभ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं है, पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे।

   (vii) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्त्तव्यों का पालन करता है, और

   (viii) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।

8. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकाधिक पाठ्यचर्चा के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

9. विद्यालय अधिनियम की धारा–19 में अधिकथित, विद्यालय में उपलब्ध प्रसुविधाओं के अनुपात में विद्यार्थियों का नामांकन करेगा।

10. विद्यालय अधिनियम की धारा–19 में यथानिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाए रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय प्रतिवेदन की गई प्रसुविधाऐं निम्नानुसार हैं :–

    विद्यालय परिसर का क्षेत्र
    कुल निर्मित क्षेत्र
    क्रीडा स्थल का क्षेत्रफल
    कक्षा कमरों की संख्या
    प्रधानाध्यापक–सह–कार्यालय–सह–भंडार कक्ष
    बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय
    पेयजल सुविधा
    मिड–डे–मील पकाने के लिए रसोई
    बाधा रहित पहुंच

अध्यापक पठन सामग्री/क्रीडा खेलकूद उपस्करों/पुस्तकालय की उपलब्धता

11. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोइ गैर मान्यता प्राप्त कक्षाऐं नहीं चलाई जाएंगी।

12. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीडा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।

13. विद्यालय को राजस्थान सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1958 के अधीन पंजीकृत किसी सोसायटी द्वारा या राजस्थान लोक न्यास अधिनियम 1959 के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।

14. विद्यालय को किसी व्यष्टि, व्यष्टियों के समूह या किन्ही अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।

15. विद्यालय के लेखाओं की चार्टड अकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा)................ को भेजी जानी चाहिए।

16. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक....................है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इसका उल्लेख करें।

17. विद्यालय ऐसे प्रतिवेदन और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय–समय पर निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर/जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा)................. .द्वारा अपेक्षित हो और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता संबंधी शतों के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कायकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाऐं।

18. सोसायटी के पंजीकरण के नवीनीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।

19. संलग्न उपाबंध–III के अनुसार अन्य कोई शर्त।

भवदीय,

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा............